राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर –302017

E-mail ID– rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक – रास्कूशिप/जय/वैशि/प्रवेशो./F-31C/2023–24/ 1905 दिनांक : 14/6/2023

1. निदेशक, माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
5. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
8. अति० जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

विषयः– नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों को विद्यालय में नामांकित करने हेतु सत्र 2023–24 में आयोजित किये जाने वाले प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के विस्तृत दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के समस्त बालक–बालिकाएं, जिनकी आयु विद्यालय / आंगनबाडी जाने योग्य है, को चिन्हित कर उनकी आयु अनुरूप आंगनबाड़ी/कक्षा में प्रवेशित कर उन्हें आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिये विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करते हुये निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं बाल श्रम से मुक्त करवाये गये बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु **प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे कर शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित करते हुये विद्यालय से जोड़कर शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करायें।**

शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार मई माह में विद्यालय के नवीन सत्र के प्रथम दिवस से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। इसके अन्तर्गत प्रथम दिवस से शिक्षकों के माध्यम से विद्यालय परिक्षेत्र में घर–घर जाकर सर्वे (हाऊस होल्ड सर्वे) किया जाना है। हाऊस होल्ड सर्वे उपरान्त चिन्हित बच्चों एवं विद्यालय में पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान चलाते हुये शिक्षा विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं/गतिविधियों/ कार्यक्रमों से अभिभावकों/आमजन को अवगत कराते हुये अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करते हुये नामांकन करवाना सुनिश्चित करें।

प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान विद्यालय परिक्षेत्र के ऐसे बच्चे जो विद्यालय से जुड़ने से वंचित रह गये हैं, के लिये पुनः कार्ययोजना तैयार कर माह अगस्त तक पुनः सर्वे कर शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाये ताकि अधिकाधिक पंचायतों को उजियारी पंचायत घोषित किया जा सके। प्रवेशोत्सव अभियान का तिथिवार विवरण निम्नानुसार है –

प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण			
क्र०स०	कार्य प्रक्रिया		दिनांक
1	हाऊस होल्ड सर्वे / बच्चों का चिन्हिकरण	–	24 जून से 01 जुलाई, 2023
2	नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि)	–	03 जुलाई से 17 जुलाई, 2023

प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण			
3	शेष रहे बच्चों के चिन्हिकरण हेतु पुनः हाऊस होल्ड सर्वे	–	18 जुलाई से 24 जुलाई, 2023
4	नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि)	–	25 जुलाई से 16 अगस्त, 2023

Signature valid

Digitally signed by Naveen Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.06.13 12:41:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3726366

संलग्न दिशा–निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि आंगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक–बालिका अनामांकित न रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जाये।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(नवीन जैन)
शासन सचिव
स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय, पंचायतीराज

क्रमांक – रास्कूशिप / जय / वैशि / प्रवेशो. / 2023–24 / 1905 दिनांक 14/6/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज0 सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, शिक्षा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज0 सरकार।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत विभाग, राज0 सरकार।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, सचिव, राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
10. निजी सचिव, सचिव, राज0 राज्य महिला आयोग, जयपुर।
11. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
12. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
13. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
14. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
15. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
16. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
17. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
18. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
19. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
20. समस्त सीबीईओ / यूसीईईओ / पीईईओ (सीआरसी) संस्थाप्रधान।
21. रक्षित प्रति।

Signature valid
Digitally signed by Naveen Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.06.13 12:41:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3726366

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर –302017

E-mail ID– rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in smsa.asfe2021@gmail.com

प्रवेशोत्सव अभियान
दिशा–निर्देश सत्र 2023–24

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से जुड़ी प्राथमिक आवश्यकताओं यथा विद्यालय की पहुंच तथा नामांकन के लक्ष्यों को काफी हद तक राज्य सरकार एवं भारत सरकार के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जो विभिन्न कारणों से विद्यालय से नहीं जुड़ पाते हैं अथवा कतिपय कारणों से विद्यालयों में उनका ठहराव नियमित नहीं हो पाता है। ऐसे सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध है।

3 वर्ष से 18 वर्ष के समस्त बालक–बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ–साथ जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है।

शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं शून्य ड्रॉप आउट वाली ग्राम पंचायतों को "उजियारी पंचायत" के रूप में चिन्हित किया जायेगा।

सत्र 2023–24 में प्रवेशोत्सव अभियान अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आंगनबाड़ियों में नामांकित किया जाना है। 3 वर्ष से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हित किया जाकर 3 से 5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ियों एवं 6 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने हेतु समस्त कार्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये जाने आवश्यक हैं–

1. 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जाना एवं विगत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाना।
2. चिन्हित बालक–बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित किया जाकर शालादर्पण के सीआरसी मॉड्यूल पर प्रविष्टि करना।
3. 3 वर्ष से 18 वर्ष के बालक–बालिकाओं को विद्यालयों से जोड़ने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में यूसीईईओ स्तर पर कार्ययोजना बनाकर **हाउस होल्ड सर्वे के लिये निर्धारित परिशिष्ट–1 प्रपत्रानुसार** चिन्हित करना एवं चिन्हित समस्त बच्चों के विद्यालयों से नहीं जुड़ पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारणों का पता लगाकर तदनुसार कार्ययोजना बनाकर ऐसे बालक–बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाना।
4. समस्त अभिभावकों/ ग्रामवासियों/ स्थानीय निवासियों/ जन प्रतिनिधियों को बालक–बालिकाओं हेतु शिक्षण एवं प्रोत्साहन से सम्बन्धित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
5. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम सभा में प्रवेशोत्सव अभियान का आयोजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अनिवार्य एजेण्डे के रूप में शामिल करें। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करने हेतु ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया जाये।
6. **प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान नामांकन की तिथि के सम्बन्ध में समय–समय पर निदेशालय द्वारा जारी किये गये आदेश मान्य होंगे।**

प्रवेशोत्सव के दौरान विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्यों का विवरण

1.विद्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्यः

1.1 अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं हेतु :

i. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सीआरसी द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शामिल करते हुये वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति कर हाऊस होल्ड सर्वे किया जाना है।

ii. वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली एवं हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 3 वर्ष से 18 वर्ष के चिन्हित अनामांकित बालक–बालिकाओं की सूची तैयार की जायेगी।

iii. **उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैण्ड, निर्माणाधीन भवन, गाँव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरबा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन, प्रवासी मजदूरों के परिवारों को भी सम्मिलित किया जाकर उनके बालक–बालिकाओं को चिन्हित एवं सूचिबद्ध किया जायेगा।**

iv. हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 3 से 18 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं को आंगनबाड़ियों, विद्यालयों, स्टेट ओपन, एनआईओएस, पत्राचार पाठ्यक्रमों अथवा अन्य शैक्षिक संस्थानों से आयु अनुरूप कक्षाओं में जोड़ा जायेगा। आंगनबाड़ियों एवं राजकीय विद्यालयों में प्रवेश योग्य समस्त बालक–बालिकाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्रानुसार शालादर्पण पर CRC मॉड्यूलमें प्रविष्ट किया जायेगा।

v. **सर्वे में चिन्हित कक्षा प्रथम में आयु अनुरूप प्रवेश योग्य बच्चों को शिक्षा से वंचित की श्रेणी में ना मानते हुये कक्षा प्रथम में शाला दर्पण के "नवीन प्रवेश प्रविष्टि" मॉड्यूल में सूचना प्रविष्टि की जाये।**

vi. **सर्वे में चिन्हित शिक्षा से वंचित (OoSC) ऐसे विद्यार्थी जिनकी शैक्षिक दक्षता कक्षा आयु अनुरूप है, उन्हें सीआरसी मॉड्यूल में शिक्षा से वंचित (OoSC) के कारणों को चिन्हित कर समान कक्षा में प्रवेश देवें।**

vii. हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना है। इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किये गये बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर नवप्रवेशित मॉड्यूल में आयु अनुसार प्रवेश से प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरन्त नामांकित नहीं किया जा सका है, ऐसे चिन्हित बच्चों का विवरण CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट करना है।

viii. हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिन्हित बालक–बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नजदीकी विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार CondensedCourse / Bridge Course के माध्यम से विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जायेगा।

1.1.1 पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु

i. विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

1.1.1 विद्यालय में अध्ययनरत/अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन हेतु किये जाने वाले अन्य कार्य

i. एसएमसी/एसडीएमसी की बैठकों में सभी सदस्यों एवं अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय विद्यालयों में नामांकन बनाये रखने एवं अन्य अभिभावकों को नामांकन कराने बाबत प्रेरित किये जाने के संबंध में चर्चा की जाये।

ii. विद्यालय में 3 से 18 वर्ष आयु के समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं से सम्बन्धित सूचनायें निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन रखी जायें।

iii. विद्यालय की निकटस्थ आंगनबाड़ी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक–बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाये।

iv. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित किया जाये कि वह माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक–बालिकाओं को आंगनबाड़ी एवं विद्यालय में नामांकित करवाने हेतु प्रेरित करें।

v. चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने के संबंध में ग्रामवासियों से चर्चा की जाकर प्राप्त फीडबैक अनुसार ग्रामवासियों के सहयोग से समस्त बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने का प्रयास किया जावे। नामांकित बच्चों को विद्यालय आने पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जावे। पंचायत के प्रमुख स्थानों यथा – पंचायत भवन, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र, धार्मिक स्थल, चौपाल, सामुदायिक केन्द्र, स्थानीय बस स्टेण्ड आदि पर वार्डवार चिन्हित एवं नामांकित/अनामांकित बच्चों की सूची चस्पा की जाये।

vi. सर्वे के दौरान चिन्हित बालक–बालिकाओं की सूची वार्डवार, ग्रामवार संधारित करना तथा सीआरसी कार्यालय के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कराया जाये।

vii. विद्यालय द्वारा गत सत्र के हाउस होल्ड सर्वे की प्रगति की समीक्षा की जाकर अनामांकित / ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में उनकी आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित किया जाये।

2. सर्वेकर्ता शिक्षक के दायित्व –

I. हाउस होल्ड सर्वे अन्तर्गत अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरी जाये।

II. प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाये एवं कोई कॉलम खाली न रहे।

III. आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करें कि कोई भी घर, ढाणी, वास (हेबीटेशन), पुरबा या अस्थाई परिवार, प्रवासी मजदूरों के परिवार सर्वे से वंचित न रहें।

IV. सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 3 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक 18 वर्ष की आयु तक के समूह में सम्बन्धित संस्था प्रधान को जमा करायें।

V. चिन्हित बालक–बालिकाओं की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराने में सीआरसी कार्यालय को सहयोग करें।

4. सीआरसी स्तर पर किये जाने वाले कार्य

I. विद्यालय के अध्यापक, मेन्टर टीचर एवं समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान / हैड टीचर के साथ शैक्षणिक वर्ष हेतु तैयारी बैठक की जावे।

II. प्रबुद्ध नागरिकों / सक्रिय ग्रामीणों / स्थानीय जनप्रतिनिधियों / भामाशाहों / विद्यालय के पूर्व छात्र–छात्रा जो सम्मानित पदों पर कार्यरत हैं, के साथ विद्यालय में नामांकन हेतु चर्चा की जाकर सहयोग प्राप्त किया जाये।

III. ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / एएनएम / अन्य विभागों के पंचायत स्तरीय कार्मिकों आदि के साथ नामांकन कार्यक्रम को साझा किया जावे एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु पंचायत में वार्डवार नवीनतम निर्वाचक नामावली प्राप्त की जाये।

IV. वार्डवार अध्यापकों को नियुक्त किया जाकर हाउसहोल्ड सर्वे किये जाने के आदेश प्रसारित किये जायें।

V. समस्त संस्था प्रधान / हैड टीचर / टीचर को निर्देशित करें कि सर्वे के दौरान विद्यालय में नामांकन हेतु अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में जानकारी देवे।

VI. **वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार एवं नामावली के अतिरिक्त हाउसहोल्ड सर्वे किया जाकर 3 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक, 18 वर्ष तक की आयु के बालक–बालिकाओं की सूचना पीईईओ / यूसीईईओ (सीआरसी मॉड्यूल) निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जाकर निर्धारित प्रपत्र में संकलन किया जाये।**

VII. *सर्वे में चिन्हित बालक–बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर सीआरसी मॉड्यूल में तुरंत प्रविष्टि / अपडेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।*

VIII. **हाउसहोल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे चिन्हित बालक–बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाये।**

IX. चिन्हित अनामांकित / ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेशित करतथा आवश्यक होने पर विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार कक्षा का स्तर प्राप्त किया जाये।

X. अपने एवं अधीनस्थ विद्यालयों की एवं निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक–बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं इस बाबत मेन्टर टीचर अपने विद्यालय में निकटस्थ स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहयोग हेतु चर्चा करे एवं प्रगति की समीक्षा करें।

4.1 प्रवासी परिवार / श्रमिक परिवारों के बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के सम्बन्ध में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के पत्रांक शिविरा / माध्य / मा–द / 22492 / प्रवेशोत्सव / 2019–20 / 356 दिनांक 10 सितम्बर, 2020 की पालना सुनिश्चित करें। (संलग्न परिशिष्ट–2)

4.2 विद्यालय में नामांकित करवाये गये शिक्षा से वंचित (अनामांकित / ड्रॉप आउट), प्रवासी / श्रमिक परिवारों के बच्चों की सूचना की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल के सीआरसी मॉड्यूल संलग्न परिशिष्ट–3 के अनुसार करना सुनिश्चित करें, जिसकी नियमित मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग सम्बन्धित सीबीईओ, एडीपीसी, डीईओ प्रारम्भिक / माध्यमिक (मुख्यालय), सीडीईओ, निदेशालय बीकानेर एवं परिषद कार्यालय द्वारा की जायेगी।

5. ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य

I. ब्लॉक स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित / ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं पर्यवेक्षण उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति द्वारा किया जायेगा।

II. बैठक में बीडीओ, सीबीईओ, ब्लॉक आरपी, सीडीपीओ (महिला एवं बाल विकास विभाग), समस्त सीआरसी द्वारा नामांकन / प्रवेशोत्सव के संबंध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत की वार्ड वाइज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जावे।

IV. एसडीएम कार्यालय द्वारा शहरी क्षेत्र के सीआरसी को वार्ड वाइज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जावे।

V. ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित / ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में लक्ष्य के विरूद्ध की गई प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

VI. नामांकन वृद्धि, अनामांकित / ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु किये जा रहे कार्यो / प्रयासों की समस्त मॉनीटरिंग सीबीईओ कार्यालय द्वारा की जायेगी।

VII. ब्लॉक स्तर पर शहरी क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के साथ–साथ बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों / चौराहों, निर्माणाधीन भवन, बेघर / घुमन्तु / मौसमी पलायन एवं कच्ची बस्ती के परिवारों का भी सर्वे किया जाकर 3 से 18 वर्ष की आयु के बालक–बालिकाओं को चिन्हित एवं सूचीबद्ध किया जाये।

VIII. सीआरसी (शहरी / ग्रामीण) द्वारा वार्डवार एवं क्षेत्रवार चिन्हित बालक–बालिकाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

IX. ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा 2 सदस्यीय टीम गठित कर अपने ब्लॉक के कम से कम 10 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रैण्डम वेरिफिकेशन कराया जावे एवं वेरिफिकेशन रिपोर्ट जिले को प्रस्तुत की जाये।

6 जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्य

I. नामांकन लक्ष्य गत वर्ष प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को आधार बनाकर लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानीय जनसंख्या व अन्य आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

II. जिला स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित / ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं पर्यवेक्षण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

III. बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जन संपर्क अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक बाल अधिकारिता विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० / मा०) को आमंत्रित किया जाकर सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् द्वारा समस्त ब्लॉक विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि समस्त सीआरसी को पंचायत की वार्डवार नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जाये।

V. जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा समस्त ब्लॉक के एसडीएम कार्यालय के माध्यम से शहरी क्षेत्र के सीआरसी को वार्ड वाइज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जावे।

VI. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समस्त सीडीपीओ के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों / कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं को कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाये।

VII. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमें बनाकर विद्यालयों में नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित / ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित गतिविधियों का सघन पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करवायी जाये।

VIII. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 सदस्यीय टीम गठित कर अपने जिले के समस्त ब्लॉक के कम से कम 5 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रैण्डम वेरिफिकेशन कराया जावे।

7. गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका

i. सरकारी विद्यालयों में नामांकन, ड्रॉप आउट / अनामांकित बालक–बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं / समूहों का यथासम्भव सहयोग लिया जावे एवं परिषद् कार्यालय द्वारा MOU की गयी NGO उक्त कार्य में विशेष सहयोग प्रदान कर सूचना परिषद कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

ii. परिषद कार्यालय से अनुबन्धित स्वयंसेवी संस्थायें प्रवेशोत्सव के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अधिकाधिक नामांकन हेतु पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें।

8. **प्रचार–प्रसार**

I. नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

II. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्तर से भी शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु ग्राम सभाओं में वितरण एवं प्रदर्शन हेतु विज्ञापन, पम्पलेटस् इत्यादि का प्रकाशन करवायें।

III. प्रवेशोत्सव के दौरान 15 जुलाई तक प्रत्येक गांव/ढ़ाणी में कम से कम दो बार प्रभात फेरी निकाल कर प्रचार प्रसार किया जाये।

IV. **प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत किया जाये।**

V. **विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विद्यालय के मुख्य द्वार पर सजावत की जाये।**

VI. **प्रवेशोत्सव के दौरान अनामांकित/ड्रॉप आउट बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलवाने हेतु विद्यालय परिक्षेत्र की महिला कार्यकर्ता, महिला जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र की समस्त महिलाओं के साथ सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर ड्रॉप आउट को शून्य तथा शत प्रतिशत नामांकन करने का प्रयास किया जाये।**

VII. **जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकरी जिले में शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया आदि का सहयोग प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।**

VIII. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजकीय विद्यालयों में बालक–बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने हेतु सत्र 2022–23 में कक्षा 10 एवं 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की फोटो लगवाये।

IX. विद्यालय में अधिकाधिक नामांकन करवाने हेतु प्रवेशोत्सव के दौरान शिक्षा विभागीय योजनाओं/गतिविधियों का प्रचार प्रसार हेतु पम्पलेटस् वितरण करवायें।

X. अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु जिला, ब्लॉक व पंचायत के मुख्य स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मन्दिर, सामुदायिक केन्द्र आदि पर दीवार लेखन, लाउड स्पीकर, पेम्फलेट वितरण एवं बैनर्स लगाये जायें।

XI. ग्राम/वार्ड विद्यालयों से वंचित हुये बच्चों को पुनः शिक्षण से जोड़ने के लिये अभिभावकों को प्रेरित किया जाये।

9. **सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधानों/शिक्षकों/अभिभावकों को प्रोत्साहन**

I. प्रत्येक विद्यालय/सीआरसी (ग्रामीण/शहरी) स्तर पर नामांकन के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाये।

II. प्रत्येक पंचायत समिति/नगर पालिका में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन संस्थाप्रधानों /शिक्षकों को उपखण्ड स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जाये।

III. प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले पाँच संस्थाप्रधानों/शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जाये।

IV. राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रत्येक जिले से श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक संस्था प्रधान को सम्मानित किया जाये।

V. श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय/संस्थाप्रधान/शिक्षक का चयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा बनाये गये मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

VI. प्रत्येक ब्लॉक के सर्वाधिक नामांकन वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों, एक माध्यमिक विद्यालय,एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

VII. प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान सत्र में सर्वाधिक नामांकन वृद्धि करने वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
JOIN CHANNEL

7. शैक्षिक सत्र 2023–24 में किसी भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के नामांकन में अप्रत्याशित कमी आने पर जिम्मेदारी तय की जाकर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(डॉ० मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक – रास्कूशिप / जय / वैशि / प्रवेशो. / F-31C / 2023–24 / 1905 **दिनांक : 14/6/2023**
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीयशिक्षा मंत्री महोदय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज० सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, भाषा एवं स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
10. निजी सचिव, आयुक्त / राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
11. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
12. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
13. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I/II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
14. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
15. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
16. समस्त सीबीईओ / पीईईओ / यूसीईईओ / संस्थाप्रधान।
17. सम्बन्धित सचिव / निदेशक / प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था, REI पार्टनर्स को निर्देशित किया जाता है कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान शिक्षा से वंचित बच्चों के चिन्हीकरण एवं विद्यालय नामांकन के कार्य में सीआरसी / ब्लॉक / जिला स्तर पर तकनीकी एवं अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
18. रक्षित प्रति।

Signature valid
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Designation : Commissioner
Date: 2023.06.14 12:28:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4043109

परिशिष्ट-1

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र – 1

जिला – ____________ ब्लॉक का नाम – ____________ सीआरसी विद्यालय का नाम – ____________

ग्राम / वार्ड का नाम – ____________ सर्वे की दिनांक – ____________ विद्यालय का नाम जिसे उस ग्राम / वार्ड की जिम्मेदारी दी गयी है – ____________

पृष्ठ – 1

क्रम	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम	गाँव / वार्ड	हैबिटेशन (रहवास)	बालक–बालिका नाम	पिता / अभिभावक / संरक्षक का नाम	माता का नाम	जन्म दिनांक	आयु	लिंग (M/F/T)	वर्ग (SC/ST/SBC/OBC/Gen./Min.)	प्रवेशित कक्षा
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

निरन्तर

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र – 1

आधार की स्थिति (हॉं / नहीं)	यदि हॉं तो आधार संख्या	शैक्षिक स्थिति			यदि अनामांकित / ड्रॉप आउट है तो कारण (परिशिष्ट–1 के अनुसार क्रमांक भरें)	विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे (परिशिष्ट–2 के अनुसार क्रमांक भरें)	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) परिशिष्ट–3 के अनुसार क्रमांक भरें।	निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे (हॉं / नहीं)	यदि हां तो विद्यालय का नाम व पता	अभिभावक मो0नं0
		अनामांकित (1)	ड्रॉप आउट (2)	ड्रॉप आउट कक्षा						
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W

(हस्ताक्षर)
संस्था प्रधान के हस्ताक्षर ____________
विद्यालय का नाम ____________
मोबाइल नं0 ____________

सीआरसी को जमा कराने की दिनांक ____________

(हस्ताक्षर)
सर्वेकर्ता शिक्षक का नाम एवं पद ____________
विद्यालय का नाम ____________
मोबाइल नं0 ____________

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–द/22492/प्रवेशोत्सव/2019–20/356 दिनांकः 10.09.2020

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
5. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।

विषय :– प्रवासी श्रमिकों के बच्चों, अनामांकित व ड्राप आउट बच्चों के चिन्हीकरण एवं विद्यालय में नामांकन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, का पत्रांकः रास्कूशिप/जय/वै.एवं औ.शि/2020–21/14340 दिनांकः 27.08.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कोविड–19 के कारण हुए लॉक डाउन की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटे है और संभावना है कि वे अपने घरों पर अलग–अलग समयावधि तक रूके। इन प्रवासी मजदूरों के साथ उनका परिवार व बच्चे भी लौटे है, जिससे कि इन बच्चों की शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया बाधित हुई है और जब तक कि विशेष प्रयास नहीं किये जाते, ये शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर रह जाएंगे। इसके कारण आपके क्षेत्र में दो अथवा कोई एक तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी –

- एक परिस्थिति में विद्यालय में नामांकन कम होगा और ऐसे प्रवासी मजदूरों के बच्चे अनुपस्थित श्रेणी में आ जाएंगे।
- दूसरी परिस्थिति में स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और ऐसे बच्चों को विद्यालय में प्रवेश की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ अन्यत्र माइग्रेट करने वाले बालक–बालिकाओं का नियमित अध्ययन जारी करने के लिए निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें:–

1. उन बालक–बालिकाओं के सम्बन्ध में जो वर्तमान विद्यालय वाले स्थान से माता –पिता के साथ अन्यत्र प्रवास पर चले गए :–
   (अ) उनका नाम नामांकन पंजिका से हटाया नहीं जाए।
   (ब) ऐसे बालक–बालिकाओं का नाम नामांकन सूची में पृथक से लिखा जाकर, उसके समक्ष अस्थायी अनुपस्थित/कोविड–19 के कारण माईग्रेशन लिखा जाए।
   (स) हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित प्रवासी बालक–बालिकाओं की सूचना शालादर्पण पर उपलब्ध मॉड्यूल में अपलोड की जाए।

2. उन बालक–बालिकाओं के सम्बन्ध में जो अपने प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ आए है:–
   (अ) ऐसे बालक–बालिकाओ को देशभर में मान्य किसी भी प्रकार के पहचान पत्र के आधार पर तत्काल प्रभाव से स्कूलों मे प्रवेश दिया जाए।
   (ब) इनसे किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेजो की मांग नहीं की जाए जैसे पूर्व में अध्ययनतर कक्षा का प्रमाण, स्थानान्तरण प्रमाण इत्यादि। अभिभावकों द्वारा दी गई सूचना/शपथ पत्र को सत्य मानते हुए उसके आधार पर निकटतम राजकीय विद्यालय में सम्बन्धित कक्षा में बच्चे का तत्काल नामांकन किया जाए।
   (स) बोर्ड कक्षा (कक्षा 10 व 12) में प्रवेश लेने वाले बच्चों से शपथ पत्र ले लिया जाए कि वे बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उपर्युक्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे, जिससे परीक्षा आवेदन हो सके।
   (द) ऐसे बालक–बालिकाओं की सूचना शालादर्पण पर अपलोड की जाए।

उपर्युक्तानुसार जो बालक–बालिकाएं प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ अन्यत्र गए थे एवं पुनः पुराने स्थान पर (विद्यालय में) लौट आए है तथा वे बालक–बालिकाएं जिन्होंने अन्यत्र विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया हैं उनकी जानकारी शाला दर्पण उपलब्ध मॉड्यूल में प्रविष्ट करावें, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ जाने वाले तथा आने वाले किसी भी बालक/बालिका का अध्ययन बाधित ना हों।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

CRCस्तर पर हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित आउट ऑफ़ स्कूल बालक-बालिकाओं (ड्राप आउट एवं अनामांकित) की डाटा प्रविष्टि हेतु शालादर्पण पोर्टल पर विकसित किये गए ऑनलाइन **module**हेतु यूजर मैन्युअल

1. सर्वप्रथम शालादर्पण पोर्टल पर अपना लॉगिन करें –

2. लॉगिन करने के उपरान्त **Role**मेनू में जाकर **PEEO Role**का चयन करें –

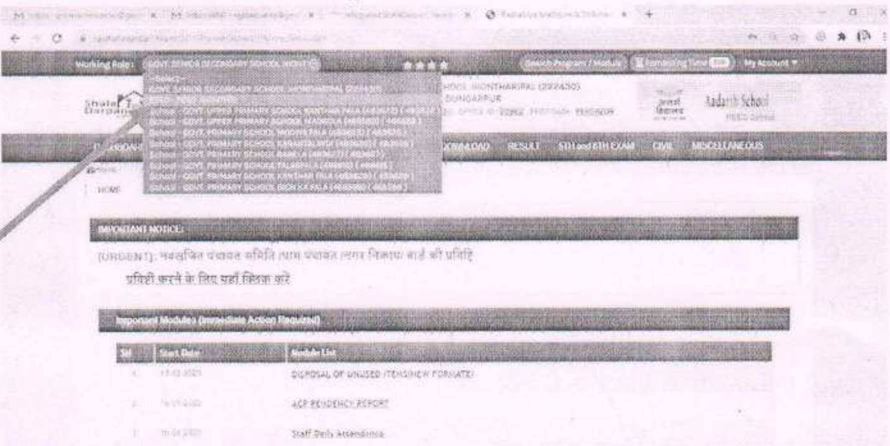

3. तत्पश्चात**Student tab**में जाकर **"OUT OF SCHOOL CHILDREN (OoSC) INFORMATION"**पर क्लिक करें –

4. क्लिक करने के उपरान्तहाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र में भरी गयी सूचनाओं की प्रविष्टि दर्शाये गए फॉर्मेट में भरकर **Save**पर क्लिक करें -

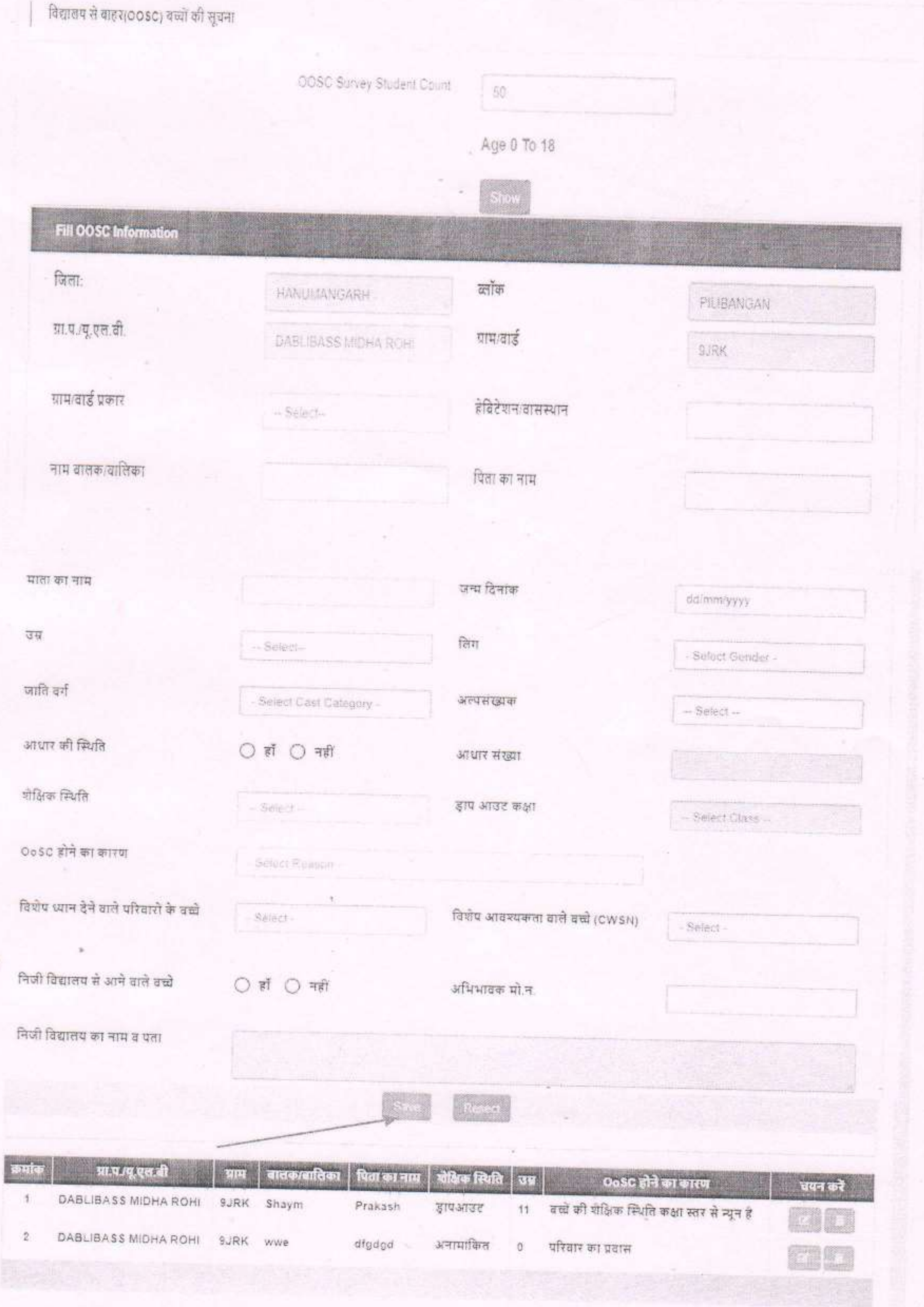
विद्यालय से बाहर(OOSC) बच्चों की सूचना

OOSC Survey Student Count: 50

Age 0 To 18

Show

Fill OOSC Information

जिला: HANUMANGARH | ब्लॉक: PILIBANGAN

ग्रा.प./यू.एल.बी.: DABLIBASS MIDHA ROHI | ग्राम/वार्ड: 9JRK

ग्राम/वार्ड प्रकार: --Select-- | हेबिटेशन/वासस्थान

नाम बालक/बालिका | पिता का नाम

माता का नाम | जन्म दिनांक: dd/mm/yyyy

उम्र: --Select-- | लिंग: - Select Gender -

जाति वर्ग: - Select Cast Category - | अल्पसंख्यक: -- Select --

आधार की स्थिति: ○ हाँ ○ नहीं | आधार संख्या

शैक्षिक स्थिति: -- Select -- | ड्राप आउट कक्षा: -- Select Class --

OoSC होने का कारण: Select Reason

विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे: - Select - | विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN): - Select -

निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे: ○ हाँ ○ नहीं | अभिभावक मो.न.

निजी विद्यालय का नाम व पता

Save | Reset

क्रमांक	ग्रा.प./यू.एल.बी	ग्राम	बालक/बालिका	पिता का नाम	शैक्षिक स्थिति	उम्र	OoSC होने का कारण	चयन करें
1	DABLIBASS MIDHA ROHI	9JRK	Shaym	Prakash	ड्रापआउट	11	बच्चे की शैक्षिक स्थिति कक्षा स्तर से न्यून है	
2	DABLIBASS MIDHA ROHI	9JRK	wwe	dfgdgd	अनामांकित	0	परिवार का प्रवास	

COVID-19 के कारण प्रवासी परिवारों केबालक-बालिकाओं की सूचना के सम्बन्ध में –

1. जब आप, हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र में भरी गयी सूचनाओं की प्रविष्टि ऊपर दर्शाये गए फॉर्मेट में करेंगे तब आपसे "OoSCहोने का कारण" पूछा जाएगा, इसमें चौथे नंबर पर दर्शाये गए विकल्प "परिवार का प्रवास (4)" का चयन करने पर, प्रवासी परिवार के विद्यार्थियों से सम्बंधित कुछ सूचना अतिरिक्त भरी जानी है –

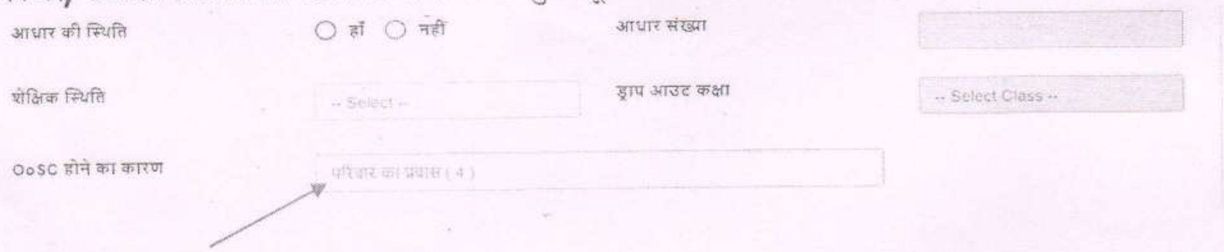

2. राज्य से अन्य राज्य में जाने व आने वाले प्रवासी परिवारों के बच्चों की सूचना की प्रविष्टि हेतु "प्रवास का प्रकार"का चयन निम्नानुसार करें –

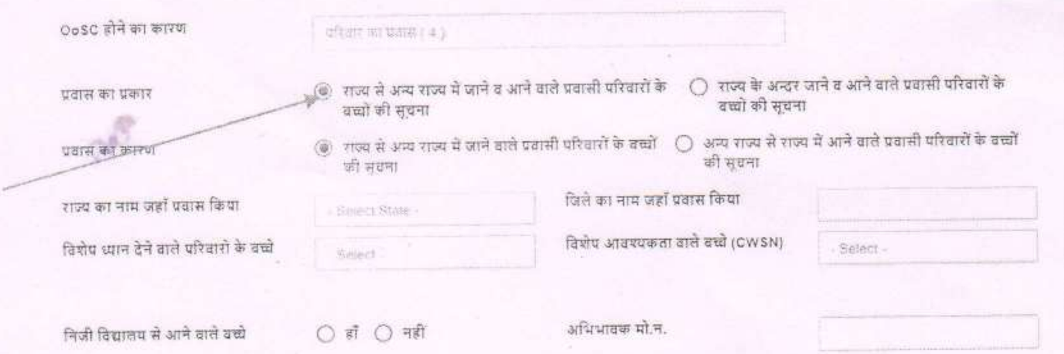

3. तत्पश्चात राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी परिवारों के बच्चों की सूचना दर्ज करने हेतु निमानुसार दिए गए विकल्प का चयन करराज्य तथा जिलेका नाम प्रविष्ट करें -

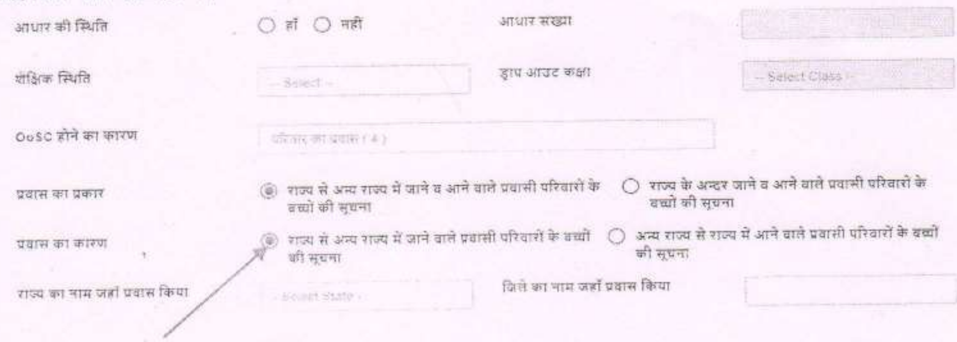

4. इसी प्रकार अन्य राज्य से राज्य में आने वाले प्रवासी परिवारों के बच्चों की सूचना भरने हेतु निमानुसार दिए गए विकल्प का चयन कर सूचना प्रविष्ट करें -

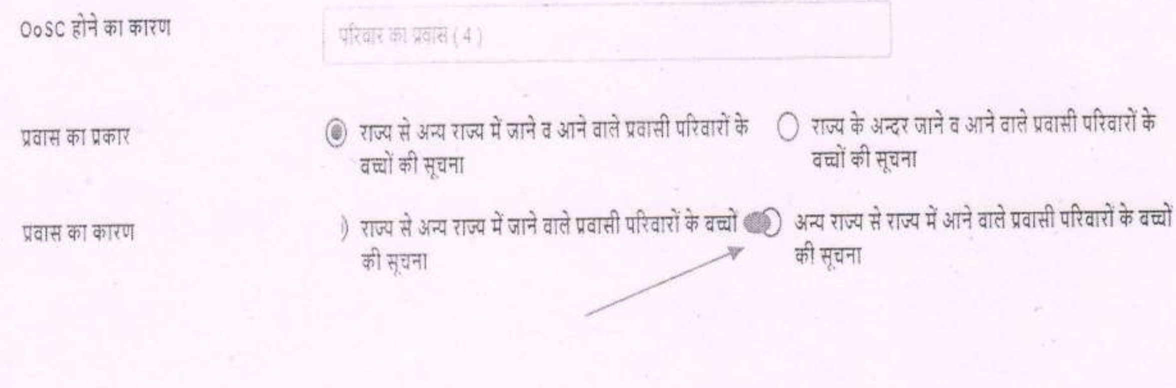

5. राज्यकेअन्दरजानेवआनेवालेप्रवासीपरिवारोंकेबच्चोंकीसूचनाकी प्रविष्टि हेतु "प्रवास का प्रकार"का चयन निम्नानुसार करें -

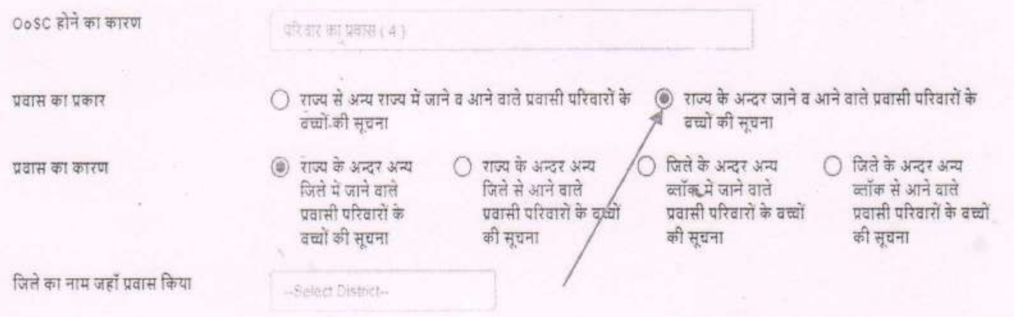

6. राज्यकेअन्दरजानेवआनेवालेप्रवासीपरिवारोंकेबच्चोंकीसूचनाकीप्रविष्टिकेदौरान4प्रकार का प्रवास संभव हो सकता है, जिस प्रकार का प्रवास हो उसका चयन करें और जिला/ ब्लॉक की सूचना दर्ज कर दें -